

शैक्षणिक सत्र 2017–18 (Fresh) एवं शैक्षणिक सत्र 14–15/15–16/16–17 (Renwal) हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा SC, ST, OBC, SBC को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की प्रक्रिया की प्रारम्भ : अन्तिम दिनांक 31 जनवरी 2018

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fresh & Renwal छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी | <p>1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन जाति (ST), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्ग के आवेदन सभी राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। सभी SC/ST/SBC Fresh & Renwal हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सम्पूर्ण परिवार की सकल स्त्रोतों से वार्षिक आय (Total Income in Financial Year 2016-17) 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं OBC Fresh & Renwal हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सम्पूर्ण परिवार की सकल स्त्रोतों से वार्षिक आय (Total Income in Financial Year 2016-17) 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इस आय की गणना वित्तीय वर्ष 2016-17 के आधार पर होनी चाहिए।</p> <p>2. विशेष रूप से ध्यान रखे की OBC Fresh & Renwal छात्रवृत्ति निम्न वर्गों के विद्यार्थियों को उल्लेखित वरीयता क्रमानुसार ही प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक विद्यार्थी निम्न 17 केटेगरी के अन्तर्गत आते हैं तो ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की श्रेणी के OBC विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और स्पष्ट रूप से आपको सूचित किया जाता है यदि आप निम्न निर्धारित श्रेणीयों में आते हैं तो ही आवेदन करे/अन्यथा आवेदन ना करें। 17 केटेगरी का वरीयताक्रमानुसार इस प्रकार है :- 1. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री 2. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्र 3. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री 4. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्र 5. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री 6. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र 7. अनाथ बालिका 8. अनाथ बालक 9. विधवा स्वयं 10. विधवा की पुत्री 11. विधवा का पुत्र 12. तलाकशुदा महिला स्वयं 13. तलाकशुदा महिला की पुत्री 14. तलाकशुदा महिला की पुत्र 15. विशेष योग्यजन स्वयं 16. विशेष योग्यजन की पुत्री 17. विशेष योग्यजन का पुत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थी यदि उपरोक्त 17 श्रेणीयों में से यदि किसी एक से संबंधित है तो उस श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत नहीं होगी)</p> |
| Fresh & Renwal छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशी | <p>विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार ही ट्र्यूशन फीस (इसके अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि 59,000) + 700 रु. REAP, LEEP रजिस्ट्रेशन फीस + यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट 250 राज.बोर्ड, 350 सी.बी.एस.ई./700 अन्य बोर्ड फीस (सम्पूर्ण राशि) + 26,00 एकजामीनेशन फीस + 3600–4000 लाईब्रेरी/बुकबैंक फीस + अनुरक्षण भत्ते SC, ST, SBC के हॉस्टलर विद्यार्थी को 1200 रु. प्रतिमाह /SC, ST, SBC के डे स्कॉलर विद्यार्थी को 550 रु. प्रतिमाह एवं OBC, EBC के हॉस्टलर विद्यार्थी को 750 रु. प्रतिमाह /SC, ST, SBC के डे स्कॉलर विद्यार्थी को 350 रु. प्रतिमाह (यह राशि नवीन आवेदन करने पर @10माह के लिए एवं नवीनीकरण आवेदन पर @12 माह के लिए यह राशि प्रदान की जाती है।</p> |
| Fresh & Renwal ऑन लाइन आवेदन करने से पूर्व निम्न डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे एवं निम्न डॉक्यूमेंट्स/सूचनाएं अपलोड करने की आवश्यकता रहेगी। | <p>Fresh/Renwal आवेदन हेतु निम्न (Scan JPG/PDF) दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी जो की निर्धारित साईज का हो :-</p> <ol style="list-style-type: none"> स्वयं की निजी एवं वैध जी ई—मेल आई डी/वैध मोबाईल नम्बर/विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र/ आधार संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या मय रसीद (आधार कार्ड में अपना पर्सनल मोबाईल नम्बर व मेल आईडी आवश्यक रूप से अपडेट कराए उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे) भामाशाह कार्ड अथवा भामाशाह पंजीकरण संख्या मय रसीद (भामाशाह कार्ड में अपना पर्सनल मोबाईल नम्बर, मेल आईडी व आपका बैंक एकाउण्ट नम्बर आपके नाम के साथ आवश्यक रूप से अपडेट कराए उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे) स्वयं के व्यक्तिगत नाम से बैंक खाता का विवरण : बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी.आरकोड, बैंक शाखा का नाम (भामाशाह कार्ड में आपको बैंक एकाउण्ट नम्बर अपडेट होना/छात्रवृत्ति में आवेदित बैंक एकाउण्ट नम्बर जन-धन खता का नहीं होना चाहिए/आपका बैंक एकाउण्ट जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए/खाते में एमाउण्ट ट्रांसफर की सीमा अधिकतम होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है। पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है। मदवार फीस की रसीद संख्या, दिनांक एवं मदवार राशि का विवरण पासपोर्ट साईज का फोटो 9. मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक के पिता का PAN CARD (यदि विद्यार्थी कुल 50,000 या इससे अधिक की छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा है, बी.पी.ए. के लिए PAN CARD की आवश्यकता नहीं है) 10वीं की अंकतालिका /12वीं की अंकतालिका/प्रिवियस सेमेस्टर/डिप्लोम की अंकतालिका (Renewal वाले विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें की वर्तमान में आप जिस Academic Year में पढ़ रहे हैं उसके पिछले वाले Academic Year के दोनों Semesters में उत्तीर्ण होना आवश्यक है यदि आप उत्तीर्ण नहीं हैं तो आवेदन ना करें) एक साथ स्कैन की गई इस वर्ष की सभी Original फीस की सभी रसीद यदि आपने शैक्षणिक सत्र 2016–17 में अध्ययन नहीं किया है तो निर्धारित प्रारूप में Notary Attested के साथ Original Gape Certificate (<i>Format</i> कॉलेज की वेबसाइट से प्राप्त करें) अन्य पिछड़ा श्रेणी में आवेदन करने हेतु उपरोक्त श्रेणी में आने वाले 17 वर्ग से संबंधित Original Certificate (प्रमाण पत्र) SC, ST, SBC, OBC का जाति प्रमाण पत्र (विशेष रूप से ध्यान रखे की आवेदन के समय OBC/ SBC का जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) “प्रारूप भाग-1” में नवीनतम नोटरी सहित आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण प्रस्तुत करते समय विशेष रूप से ध्यान रखे की यदि आपके अभिभावक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयकर रिटन की प्रतिलिपि (फार्म-16 और जीए-55)/यदि आपके अभिभावक सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेशनर हैं तो जिस बैंक खाते में पेशन आ रही है उसकी वित्तीय वर्ष 2016-17 की |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>बैंक डायरी में सम्पूर्ण एंट्री की प्रिंटआउट एवं पेंशन पेमेंट आर्डर की कॉपी/यदि आपके अभिभावक की आय वेतन से आ रही है तो जहाँ आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं वहाँ का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र को आय प्रमाण पत्र "प्रारूप भाग-1" के साथ कन्टीन्यू स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा आपका आय संबंधी प्रमाण स्वीकार नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित "प्रारूप भाग-1" में ही प्रस्तुत कर और आय प्रमाण के साक्ष्य के रूप में केवल इस प्रपत्र को पोर्टल पर अपलोड करें, यदि आपके द्वारा किसी अन्य प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। 16. विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखे की जो भी डॉक्यूमेंट आप स्केन कर अपलोड कर रहे वो कॉलेज व समाज कल्याण विभाग को Zoom करने पर वेरीफेक्शन हेतु साफ दिखाई दिया जाना चाहिए। यदि आपका स्केन डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं होगा तो आपकी छात्रवृत्ति का आवेदन वेरीफाई नहीं किया जाएगा एवं इस कारण से Scholarship Application Reject होने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। 17. फीस की सभी रसीद/Gape Certificate/ Income Certificate-Related Income Proff / OBC की 17 कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र/सभी अंकतालिका/ये सभी डॉक्यूमेंट Original अपलोड करना है और यदि इसके अतिरिक्त यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपलोड करते हैं तो उसे आवश्यक रूप से Self Attested कर निचे अपना मोबाईल नम्बर लिखें अन्यथा आपको अपलोड स्वीकार नहीं किया जाएगा)</p> |
| | <p>Fresh Application एवं Renewal Application की आवेदन प्रक्रिया :-</p> <p>विशेष ध्यान देने योग्य विवरण जिसके अभाव में आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सभी आवेदक अपने Aadhar Card में अपना वैध G-Mail ID और Mobile Number आवश्यक रूप से Update करवाएं यदि आपके Aadhar Card में आपका वैध G-Mail ID और Mobile Number Update नहीं है तो आप SSO-Portal अपना Student Registration और Scholarship-2017 हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। Aadhar Card में Mail ID और Mobile Number Update होने के बाद ही आप ही आप आवेदन करे उसके पूर्व छात्रवृत्ति आवेदन ना करे। 2. समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 से लागू नई प्रक्रिया के तहत इस वर्ष के छात्रवृत्ति की राशि आपके Bhamashah Card में Mention Bank Account Number में हस्तांतरित होगी। अतः विशेष रूप से आपका SBBJ/Ohter Bank Account Number भासाशाह कार्ड में अपने नाम के साथ लिंक करवा कर Update करवाएं। विशेष रूप से ध्यान रखें की वाले विद्यार्थी अपने स्वयं के नाम के नवीन व्यक्तिगत SBBJ Bank Account Number को Bhamashah Card में अपने नाम के साथ लिंक करवा कर Update करवाएं विशेष रूप से ध्यान रखें की आपका Bank Account : Zero Balance Account, Zero Balance, Minimum Transfer Limit, Deactivate Account, JAN-DHAN Account नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के उपरान्त इस Bank Account को पुरे वर्ष भर Activate रखें साथ ही बैंक-शाखा से सम्पर्क कर इस Bank Account की Amount Tranfer Limit को Maximum Amount Tranfer Limit करवा दें। 3. Bhamashah Card में भी आपका आपका वैध G-Mail ID और Mobile Number करवा दें एवं आपके Bank Account Number को आवश्यक रूप से Addhar Card से Link करवाए। साथ ही यह बैंक एकाउण्ट KYC पूर्ण खाता होना चाहिए। 4. SSO-Portal पर Registration करने के बाद आपके Profile में Bhamashah Card or Addhar Card Nuber आवश्यक रूप से अपडेट करें। 5. उपरोक्त सभी Updation के बाद आप छात्रवृत्ति के नवीन पोर्टल पर आवेदन करें इससे पूर्व आवेदन नहीं करें। 6. छात्रवृत्ति आवेदन करने व अपना आवेदन-पत्र लॉक करने के बाद यदि इस आवेदन को कॉलेज व समाज कल्याण विभाग द्वारा चैक किया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की कमी होगी तो आपके पोर्टल पर कमेंट डाल कर मोबाईल एस.एम.एस. (आवेदन में भरे गए आपके व्यक्तिगत नम्बर) भेज कर सूचित किया जाएगा। इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि कॉलेज या समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके आवेदन से किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन आने पर तुरंत उसे 7 दिवस में सही कर पुनः लॉक करें और इसकी सूचना आपके कॉलेज के छात्रवृत्ति प्रभारी को दें। अतः आवेदन करने के बाद नियमित रूप से मोबाईल एस.एम.एस. व अपने पोर्टल को चैक करते रहें। 7. आय-प्रमाण पत्र में अपनी वैध आय ही भरे यदि किसी भी विद्यार्थी द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है या गलत आय भरी जाती है तो इसकी समस्त विधिक जिम्मेवारी संबंधित विद्यार्थी व आय-घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति की होगी एवं आय प्रमाण पत्र में किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़े। 8. छात्रवृत्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए छात्रवृत्ति प्रभारी श्री विक्रम राठौड़ (9667929676) से सम्पर्क करें। |
| ऑन लाइन आवेदन करने में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें | <ol style="list-style-type: none"> 1. New Scholarship: 2017-18 में आवेदन करने हेतु www.sje.rajasthan.gov.in वेबसाईट को ओपन करके New Scholarship Portal को क्लीक कर आपकी Personal SSO ID बनाए और इसके बाद आवेदन करें (विशेष रूप से ध्यान रखें की यह SSO ID अपने ही नाम से बना कर आवेदन करे किसी अन्य ई-मीत्र की SSO ID से आवेदन नहीं करें। 2. आवेदन के समय Department Name : SOCIAL JUSTICE सलेक्ट करें/Scheme Name : SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE सलेक्ट करें/Fee Details में केवल निम्न HEAD में Fee Details भरें : Registration/Admission Fee, Enrollment Fee, Tuition/Academic Fee, Library Fee, Examination Fee के हेड में जो फीस राशि आपके फीस रसीद में आ रही है उसको भरे एवं इनका कुल योग Total Fee योग Total Receipt Amount में लिखे। विशेष रूप से ध्यान रखें कि Games Fee/Union Fee/Magazine Fee/Caution Money Fee/Security Deposit Fee/Development Fee HEAD में किसी भी प्रकार की फीस राशि में 00 अंकित करें। |

आय का घोषणा पत्र
 (पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा जायेगा)
 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2017-18 के लिए
 प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नामपिता/पति का नाम
 श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता.....
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (50 हजार रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति के लिए).....(जो स्पष्ट अंकित हो) (बीपीएल को छोड़कर)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भासाशाह नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का मोबाइल नम्बर.....
7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्बिलित वार्षिक आय का विवरण :- (सम्बन्धित पर चिन्हित करे राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं. 16 या GA-55 भी संलग्न करें/यदि निजी क्षेत्र की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें/पेंशन से आय होने पर पी.पी.ओं की प्रति व 16-17 का बैंक स्टेटमेंट संलग्न करे/ क्र.सं 1 से 4 मद में जिस स्त्रोत से आपकी आय है उसमें आपकी वित्तीय वर्ष 2016-17 की कुल वार्षिक आय की राशि भरें।)

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय रु..... | (2) वृत्ति सेवा लाभ अनुदान निकाय आदि से आय रु..... |
| (3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रु....... | (4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या व्याज लाभांश से आय रु..... |
| (5) अन्य स्त्रोतों से आय रु..... | कुल वार्षिक आय रु..... |

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
 आय की घोषणा करने वाले का नाम.....
 मय विद्यार्थी से सम्बन्ध.....

प्रारूप भाग-II (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियोंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
 निवासीको भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त उक्त वर्गित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति (पद नाम मय दिनांक एवं मो.न.)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति (पद नाम मय दिनांक एवं मो.न.)

* नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा—संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान) जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अधिशंसा करवाए।

प्रारूप भाग-III (शपथ-पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीशपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी हो) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु.....हैं। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177,197,198,199,200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाये जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

(हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता)

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम).....पिता/पति का नामआयुनिवासी
ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया हैं, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

(हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारीका नाम मय पद एवं सील)

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन कमांक) का नाम व पद मय मुहर)

— अध्ययन अन्तराल प्रमाण पत्र (गेप सर्टीफिकेट) —
स्वघोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति
उम्र निवासी
आज बमुकाम बयान करता हुं/करती हुं कि :-

1. कि मैंने वर्ष में की परीक्षा दी थी जिसमें मैं उत्तीर्ण रहा था/रही थी।
2. कि मैंने वर्ष में महावीर इंस्टीटीयूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साईंस में नवीन प्रवेश लिया था परन्तु पुनः इसी सत्र में में अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया था एवं पुनः अध्ययन हेतु शैक्षणिक सत्र में महावीर इंस्टीटीयूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साईंस में नवीन प्रवेश लिया इसलिए मेरे वर्ष में गेप है।
3. कि शैक्षणिक सत्र में मेरे नियमित अध्ययन में अन्तराल रहा है।
4. कि मैं शैक्षणिक सत्र में बी.टेक में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन कर रहा हुं/रही हुं।
5. कि शैक्षणिक सत्र के दौरान मुझ से संबंधित किसी प्रकार का कार्ड वाद-विवाद पुलिस थाना/न्यायालय व अन्य विभाग में विचाराधिन नहीं है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

— तस्दीक —

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक बयान करता हुं/करती हुं कि उपरोक्त घोषण एवं मुझ द्वारा वर्णित तमाम तथ्य मेरी निजी ज्ञान व जानकारी में सही एवं सत्य है।

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

नाम

स्थान

दिनांक